"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2004—आश्विन 16, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2/1325.—श्री शान्तनु, भा.प्र.से. (एम. टी. 1997) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक रजिस्ट्रार, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. (2001) स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर, आई. एफ. ए. डी. बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

3. श्री पी. सी. पाण्डे, भा. व. से. (1987) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, आई. एफ. ए. डी. बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री पी. नरसिम्हाराव, भा. व. से. (1987) वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2/1327.—श्री एस. के. केहरि, भा. प्र. से. (1992) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, लोक शिक्षण एवं संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री केहरि द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से. संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं श्री बी. पी. राम नेताम, भा. प्र. से. संचालक, लोक शिक्षण के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. श्री भरत अग्रवाल, रा. प्र. से. (आर. आर.-85) संयुक्त सचिव, गृह विभाग एवं संचालक, संपदा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती ईशिता राय, भा. प्र. से. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव के प्रभार से मुक्त होंगी.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2/1323.—श्री कमल प्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोंडागांव, जिला बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद, जिला-दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2/1326.—श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से. (1972) को प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एम. एस. धुर्वे, भा. प्र. से. (1989), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, राजस्व विभाग एवं अपर आयुक्त, भू-अभिलेख तथा राहत कार्य के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री अवध बिहारी, भा. प्र. से. (1991) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग एवं अपर आयुक्त, भू-अभिलेख तथा राहत कार्य को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री ए. मिंज, (रा. प्र. से.), रजिस्ट्रार, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री अनिल टुटेजा, (रा. प्र. से.), उप-सचिव, मुख्य मंत्री को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप-सचिव, परिवहन विभाग एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, रायपुर का प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 2-27/2004/1-8.—श्री टी. पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 832/2004/1-8/स्था.—श्री जे. पी. वर्मा, स्टाफ आफिसर, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 28-6-2004 से 9-7-2004 तक कुल 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 10 एवं 11 जुलाई, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. वर्मा को स्टाफ आफिसर, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. वर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ आफिसर, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-1-19/2003/एक/2/1321.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 23/5/2004-EO/MM-I. दिनांक 14-9-2004 द्वारा श्री आर. डी. मीना, भा. प्र. से. (W.B. 1984) की नियुक्ति निज सचिव (Private Secretary) केन्द्रीय राज्य मंत्री, पर्यावरण एवं वन (श्री नमो नारायण मीना) के पद पर की गई है, फलस्वरूप श्री मीना को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक 864/2004/1-8/स्था.—श्री पी. सी. पाण्डेय, (भा. व. से.) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 805/2004/1-8, दिनांक 2 सितम्बर, 2004 द्वारा स्वीकृत किया गया अर्जित अवकाश दिनांक 23-8-2004 से 28-8-2004 तक 6 दिन का श्री पाण्डे द्वारा उपभोग नहीं करने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-7/35/2004/1/2/लीव/1324.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-8-2004 द्वारा श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से. को दिनांक 23-8-2004 से 4-9-2004 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2004

क्रमांक 2225/1341/2004/1/2/लीव/1322.—श्री टी. एस. छतवाल, भा. प्र. से. को दिनांक 20-9-2004 से 1-10 2004 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19-9-2004 एवं 2 एवं 3-10-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री छतवाल आगामी आदेश तक सचिव, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री छतवाल को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री छतवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2004

क्रमांक 2269/1386/2004/1/2/लीव/1319.—इस विभाग के आदेश दिनांक 29-7-2004 द्वारा डा. ए. जयतिलक, भा. प्र. से. को दिनांक 23-7-2004 से 28-8-2004 तक (37 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. इसी अनुक्रम में दिनांक 29-8-2004 से 8-10-2004 तक (41 दिवस) का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 9 एवं 10-10-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में डा. ए. जयतिलक, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डा. ए. जयतिलक, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2004

क्रमांक ई-7/11/2003/1/2/लीव/1320.—श्री एस. के. बेहार, भा. प्र. से. को दिनांक 13-9-2004 से 17-9-2004 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11, 12, 18 एवं 19-9-2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेहार, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बेहार को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेहार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2004

क्रमांक.एफ 1-10/दो (तीन-जेल) 2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा जेल नियमावली के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये निम्नांकित व्यक्तियों को तीन वर्ष कालावधि के लिये नीचे कालम में दर्शित जेलों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	जेल का नाम (2)	अशासकीय संदर्शक का नाम (3)	पता (4)
1.	उप जेल, महासमुन्द	1. श्री द्वारिका चंद्राकर	मु. पो. बेमचा
		2. श्रीमती ललिता अग्रवाल	मु. पो. पिथौरा
2.	उप जेल धमतरी	1. श्री दयाशंकर सोनी	जोधापुर वार्ड धमतरी
		2. श्री शैलेन्द्र धेनु सेवक	मु. पो. सिहावा नगरी
3.	जिला जेल, राजनांदगांव	1. श्री रघुवीर वाधवा	स्टेशन पारा, राजनांदगांव
		2. श्री प्रकाश वैद	गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव
		3. श्री महेन्द्र जैन,	मु. पो. लखोली, राजनांदगांव
4.	उप जेल, डोंगरगढ़	1. श्री विरेन्द्र सोनी	पुराना बस स्टेंड, डोंगरगढ़
		2. श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल	मु. पो. डोंगरगढ़
5.	सर्किल जेल, दुर्ग	1. श्री अगरी सिंग यादव	धमधा नाला, दुर्ग
		2. श्री राजेश ताम्रकार	ढीमरपारा, दुर्ग
		3. श्री कांशीनाथ शर्मा	ब्राम्हण पारा, दुर्ग
6.	उप जेल, बालोद	1. श्री दानमल जैन	मु. पो. बालोद
		2. श्री देवलाल चौधरी	मु. परसदा, पो. सांतरा
7.	उप जेल, बेमेतरा	1. श्री सनत सिंह ठाकुर	विद्यानगर, बेमेतरा
		2. श्री हरवंश सिंह	पंजाबी पारा, बेमेतरा

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	केन्द्रीय जेल, रायपुर	1. श्री राजु राघवानी	तेलीबांधा, रायपुर
		2. श्री दीपक पंजवानी	गंजपारा, नेमीचंद गली, रायपुर
		3. श्री कैलाश राजपूत	गोलबाजार, रायपुर
		4. श्री राधे दुर्गा	मौदहापारा, रायपुर
		5. श्री नरेश साहू	कांपा लोधीपारा, रायपुर
		6. श्री विजय देशमुख	गोलबाजार, रायपुर
		7. श्रीमती इंदिरा जैन	चौबे कालोनी, रायपुर
		8. श्रीमती सुमन ताई पराडकर	बुढ़ापारा, रायपुर
9.	उप जेल, बलौदाबाजार	1. श्री उमेश वाजपेयी	मु. पो. बलौदाबाजार
		2. श्री दुर्गा महेश्वर	मु. पो. पलारी
10.	उप जेल, गरियाबंद	1. श्री मुरलीधर सिन्हा	मु. पो. गरियाबंद
		2. श्री भागवत हरित	मु. पो. फिंगेश्वर
11.	जिला जेल, रायगढ़	1. श्री रविन्द्र भाटिया	कोतरा रोड
		2. श्री सतीश बेहरा	तमनार
		3. श्री सुरेश गोयल	रायगढ़
12.	जिला जेल, कोरबा	1. श्री दीप नारायण सिंह	ग्राम पोस्ट कोरबा
		2. श्री बनारसी दास	नगोईबार, दर्री
		3. श्री अनूप अग्रवाल	मु. पो. कोरबा
13.	उप जेल, कटघोरा	1. मो. हनीफ खान	ग्रा. पो. कटघोरा
		2. श्री राकेश पांडे	पुरानी बस्ती कटघोरा
14.	जिला जेल, बैकुंठपुर	1. श्री आशीष गुप्ता	अधिवक्ता, बैकुंठपुर
		2. श्री विजय राजवाड़े	सरडी बैकुंठपुर
		3. श्री शोएब अहमद	बैकुंठपुर
15.	उप जेल, मनेन्द्रगढ़	1. श्री विवेक अग्रवाल	बस स्टैंड, मनेन्द्रगढ़
		2. श्रीमती अलका गांधी	वार्ड नं. 12, मनेन्द्रगढ़
16.	केन्द्रीय जेल, बिलासपुर	1. श्री नारायण तावड़ेकर	राजेन्द्र नगर बिलासपुर
		2. श्री गिरीश शुक्ला	ग्राम पोस्ट मुंगेली
		3. श्री अर्जुन तीर्थानी	सरकण्डा बिलासपुर
		4. श्रीमती कमला दीक्षित	इमलीपारा बिलासपुर
		5. श्री नरेन्द्र कछवाहा	मुकाम पोस्ट बिलासपुर
		6. श्री उद्धव मोटवानी	मुकाम पोस्ट बिलासपुर
		7. श्रीमती मीना पांडेय	पार्षद, आजाद नगर बिलासपुर
		8. श्री दीपक खंडेलवाल	साई मंगलम बिलासपुर
17.	केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर	1. श्री बलबीर सिंह चावरा	ग्राम पोस्ट अंबिकापुर
		2. श्रीमती सिद्धेश्वरी सिंह	ग्राम पोस्ट अंबिकापुर

(1)	(2)	(3)	(4)
		3. श्री काशीनाथ तिवारी	ग्राम पोस्ट अंबिकापुर
		4. श्री राजकुमार बंसल	ग्राम पोस्ट अंबिकापुर
		5. श्री कुलदीप सिंह	ग्राम पोस्ट दरिमा जिला सरगुजा
		6. श्रीमती माया मिश्रा	मिशन चौक अंबिकापुर
		7. श्री रामखिलावन शास्त्री	मुकाम पोस्ट सिलफिली अंबिकापुर
		8. श्री अशोक सिंह	स्कूल रोड अंबिकापुर
18.	उप जेल, सूरजपुर	1. श्री अनिल गोयल	ग्राम पोस्ट नयापारा सूरजपुर
		2. श्री सतीश गर्ग	ग्राम पोस्ट वकील कालोनी सूरजपुर
19.	उप जेल, रामानुजगंज	1. श्री सुभाष जायसवाल	ग्राम पोस्ट रामानुजगंज
		2. श्री अमीरचंद	ग्राम पोस्ट रामानुजगंज, जि. सरगुजा
20.	उप जेल, जांजगीर-चांपा	1. श्री बद्रीप्रसाद कटकवार	ग्राम पोस्ट भाटापारा जांजगीर
		2. श्री प्रशांत ठाकुर	मुकाम पोस्ट जांजगीर
21.	जिला जेल, जशपुर	1. श्री अरूण सिंह	वार्ड नं. 1 जशपुर
		2. श्री आलोकराय	मुकाम पोस्ट जशपुर नगर
		3. श्री प्रभाकर यादव	मुकाम पोस्ट बागनताला जिला जशपुर.
22.	उप जेल, कांकेर	1. श्री सुन्दर हिरदानी	मुकाम पोस्ट कांकेर
		2. श्री संजय खटवानी	मुकाम पोस्ट कांकेर
23.	केन्द्रीय जेल, जगदलपुर	1. श्री शशिशंकर शुक्ला	नयापारा जगदलपुर
		2. श्री खीवराज संचेती	प्रतापदेव वार्ड जगदलपुर
		3. श्री उमाकांत सिंह	राजेन्द्र नगर वार्ड जगदलपुर
		4. श्रीमती पार्वती कश्यप	साकेत कालोनी जगदलपुर
		5. श्री हेमंकांत दास	मुकाम पोस्ट पथरागुड़ा जिला जगदलपुर.
		6. श्री साधूराम निषाद	मुकाम पोस्ट कचोरा जिला जगदलपुर
		7. श्री संतोष त्रिपाठी	विजय वार्ड जगदलपुर
		8. श्रीमती जसबीर कौर	सदर वार्ड जगदलपुर
24.	उप जेल, दंतेवाड़ा	1. श्री दुर्गा प्रकाश सिंह चौहान	मुकाम पोस्ट दंतेवाड़ा
		2. श्री अरूण सिंह भदौरिया	मुकाम पोस्ट गादीरास

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. धुर्वे, विशेष सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक/एफ-1-8/03/(6)52.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प की गतिविधियों के संचालन एवं विकास के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का निम्नानुसार गठन करता है :—

(अ) बोर्ड के अध्यक्ष माननीय ग्रामोद्योग मंत्री जी होंगे.

(ब) बोर्ड के संचालक मण्डल में प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, वित्त विभाग, संस्कृति विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग शासकीय सदस्य होंगे.

(स) बोर्ड के संचालक मण्डल में हस्तशिल्प एवं समाज सेवा से जुड़े हुए शिल्पियों/व्यक्तियों को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा.

(द) बोर्ड के प्रबंध संचालक, ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक ही होंगे.

(इ) वर्तमान में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को ही बोर्ड के कर्मचारियों के रूप में समायोजित किया जावेगा.

उपरोक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी.

Raipur, the 21st July 2004

No. F-1-8/03/(6) 52.—For the development of handicraft activities in the State, the State Government hereby constitutes the Chhattisgarh Handicrafts Development Board as follows :—

(A) The Minister in charge of Gramodyog shall be the Chairman of the Board.

(B) The Principal Secretary/Secretary in charge of Rural Industries, Finance, Culture and Tribal Welfare Departments shall be official members on the Board of Directors.

(C) Craftsmen/Persons associated with handicrafts and social service sectors may be nominated to the Board as non-official members.

(D) The Principal Secretary/Secretary of Rural Industries Department, or the Managing Director of the Khadi and Village Industries Board shall be the Managing Director of the Board.

(E) The staff of Handicrafts cell, shall constitute the staff of the Board.

This notification shall become effective from the date of its notification in the gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु जी. पिल्ले, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2004

क्रमांक आर-216/13/03.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 (ए) तथा (सी) के प्रावधान के अनुसार अंकित अवधि तक विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्यरत रहेगा. इस स्थिति के प्रकाश में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजीव रंजन, कार्यपालिक संचालक, पावर फायनेंस कार्पोरेशन, नई दिल्ली की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए, अन्य आदेश तक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल नियुक्त करता है. उनके कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय सिंह, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के कार्यभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2004

क्रमांक 927/216/13/1/03.—राज्य शासन ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 714/13/650/ऊ. वि./03 दिनांक 24-7-2004 द्वारा श्री वाय. एन. जौहरी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद पर छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन अथवा 6 माह जो पहले हो तक वृद्धि देते हुए नियुक्त किया गया है, की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 11-7/16/2004.—शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विश्वकर्मा जयंती, 17 सितम्बर को "छत्तीसगढ़ श्रम दिवस" घोषित किया जाए. अत: विश्वकर्मा जयंती दिनांक 17 सितम्बर को "छत्तीसगढ़ श्रम दिवस" घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रॉबर्ट हांग्डोला, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2004

क्रमांक एफ 10-1/16/2004.—छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (क्रमांक 25 सन् 1976) की धारा 6 की उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिलाओं को नियोजन में अधिक अवसर प्रदान करने

के उद्देश्य से राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति का गठन करता है जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(अ) शासकीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए स्वतंत्र व्यक्ति :—

(1) श्री अरूण चौबे, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर : अध्यक्ष
(2) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर : सदस्य/सचिव
(3) संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर. : सदस्य
(4) संचालक, नियोजन एवं प्रतिरक्षण संचालनालय, रायपुर. : सदस्य
(5) संचालक, कृषि, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर : सदस्य

(ब) नियोजकों के प्रतिनिधि :—

(1) संचालक, वनोपज निगम, रायपुर : सदस्य
(2) संचालक, मंडी बोर्ड, रायपुर : सदस्य
(3) नियोजक, गोला बीड़ी, धमतरी : सदस्य

(स) श्रमिक प्रतिनिधि :—

(1) श्री सत्येंद्र दुबे, छत्रपति शिवाजी नगर, एच. आई. जी. 82, हुडको कालोनी, जिला कोरबा. : सदस्य
(2) श्रीमती लता दीक्षित, मु. पो. कोगियाकला, तहसील साजा, जिला दुर्ग. : सदस्य
(3) श्रीमती बेबी जोस, सरकारी कुएं के पास, वार्ड नं.-2 कोटा, पो. आ. रविशंकर युनिवर्सिटी, रायपुर. : सदस्य

(द) स्वतंत्र सदस्य :—

(1) श्रीमती नीलम बाला सालोमन, अध्यक्ष महिला इंटक : सदस्य
(2) श्रीमती उमा नेताम द्वारा बी. एल. नेताम, 38/ए, बालको नगर कोरबा. : सदस्य
(3) सुश्री राजकुमारी राज तुलाली पो. लाफा, व्हाया-पाली जिला कोरबा. : सदस्य
(4) श्रीमती गुलाब बाई परमान, समता कालोनी, रायपुर : सदस्य
(5) श्रीमती प्रभा पटेल, मु. पो.-देवकर, जिला दुर्ग (श्री रंजन जी पटेल). : सदस्य
(6) श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम, कृषि उपज मंडी के सामने, जगदलपुर. : सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, अवर सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2004

संशोधन

क्रमांक/1567/बी-11/8/2003-04/14-2.—विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6162-6163/बी-11/8/2003 04/14-2. दिनांक 6-2-2004 में संलग्न सूची के क्रमांक-2 गेहूं असिंचित जिला राजनांदगांव के सम्मुख दर्शित बिन्दु क्रमांक-2 तहसील डोंगरगांव को विलोपित करते हुए डोंगरगढ़ स्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2004

संशोधन

फा. क्रमांक 5245/3 (बी)/28/2004/21-ब.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 5210/3 (बी)/28/2004/21-ब दिनांक 27-8-2004 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त आदेश की प्रतिलिपि क्रमांक 1 की पंक्ति 4 में श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा पिता श्री बिहारी राम के स्थान पर श्रीमती सुनीता टोप्पो, पत्नी श्री निर्मल टोप्पो पढ़ा जावे.

रायपुर दिनांक 28 अगस्त 2004

संशोधन

फा. क्रमांक 5246/3 (बी)/29/2004/21-ब.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 5208/3 (बी)/29/2004/21-ब दिनांक 27-8-2004 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त आदेश की प्रतिलिपि क्रमांक 1 की पंक्ति 4 में श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा पिता श्री बिहारी राम के स्थान पर श्री पुरुषोत्तम सिंह मरकाम पिता श्री निर्मल सिंह मरकाम पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5747/डी-2286/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 348/दो-2-17/2001 (गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्री दिलीप कुमार भट्ट, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय, दुर्ग की सेवायें छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5748/डी-2291/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 340/दो-2-10/2001 (गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्रीमती अनिता झा, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से वापस लेते हुए अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एतद्द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी जाती है.-

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5749/डी-2288/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 341/दो-2-10/2001 (गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्री महेन्द्र कुमार तिवारी, रजिस्ट्रार, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, रायपुर की सेवाएं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से वापस लेते हुए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर में अतिरिक्त सचिव के पद पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5750/डी-2292/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 345/दो-2-16/2001(गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्री अरुण कुमार प्रधान, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट) कांकेर, छ. ग. को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5752/डी-2287/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 347/दो-2-10/2001 (गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्रीमती विमला सिंह कपूर, चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर में उप सचिव के पद पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2004

संशोधित आदेश

फा. क्र. 5765/डी/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 5750/डी-2292/21-ब/छ.ग./04 दिनांक 21-9-04 की पांचवी पंक्ति में "दुर्ग" के स्थान पर राजनांदगांव पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. वाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

फा. क्र. 5751/डी-2290/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 346/दो-2-10/2001 (गोपनीय)/04, दिनांक 15-9-2004 के अनुपालन में श्री टी. पी. शर्मा, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) की सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. आर. निकुन्ज, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 13 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मोहदा	1.955	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 14 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	डोंगी	0.627	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान्) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 15 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव	0.834	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 16 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	तिलकडीह	0.238	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 17 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बिरगहनी	2.444	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 18 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पोड़ी	0.777	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2004

क्र. 19 अ 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सेमरा	0.101	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

क्र. 34 /अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	खम्हरिया	0.312	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग क्रमांक 1, बिलासपुर	खम्हरिया बिटकुला मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

क्र. 35 /अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, उस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	बोदरी	3.78	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	उच्च न्यायालय छ. ग. बिलासपुर के न्यायालयीन भवन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 15 सितम्बर 2004

क्रमांक 357/अ.वि.अ./भू-अर्जन/26 अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुन्द	मोंगरापाली/तेन्दूकोना प. ह. नं. 121/68	0.57	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, रायपुर.	मचका नाला पिथौरा, बाग बाहरा मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 सितम्बर 2004

क्रमांक 6846/भू- अर्जन/2004 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पटपर प. ह. नं. 31	9.44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	[illegible] नाली निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा दिनांक 4 सितम्बर 2004

क्र. /9/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004/10644.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रजगामार प. ह. नं. 10	0.25	मुख्य महाप्रबंधक, एस. ई. सी. एल. कोरबा एवं.	[illegible] भूमि का अर्जन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ 82/03-04/15.2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बड़े आमावाल	0.60	वन मण्डलाधिकारी (सा.) वन मण्डल, जगदलपुर.	बांस रोपण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2004

क्रमांक 6192/क/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	कारली	0.81	सेनानी, 9वीं बटा. छ. ग. सशस्त्र पुलिस, जिला दंतेवाड़ा.	सार्वजनिक भवन निर्माण हेतु

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 जुलाई 2004

रा. प्र. क्र. 01 अ 82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रतापपुर	प्रतापपुर	0.55	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु).	पहुंच मार्ग [illegible]

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, प्रतापपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/216.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	हरेठीकला प.ह.नं. 22	0.348	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	हरेठीकला माइनर [illegible]

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/311.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सकर्रा प.ह.नं. 07	0.101	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कटागी ब्रांच माइनर 4

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/312.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अड़भार प.ह.नं. 8	0.132	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	भागोडीह ब्रांच माइनर नं. 2

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/313.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नौरंगपुर प.ह.नं. 07	0.248	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	भाठीडीह माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/405.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	देवरघटा प.ह.नं. 22	0.114	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	देवरघटा माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/406.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	तुमीडीह प.ह.नं. 22	0.354	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	गुड़रू माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/407.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	परसाडीह प.ह.नं. 16	1.345	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र.-3, सक्ती.	बोराडीपा माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/408.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बरेकेल खुर्द प.ह.नं. 21	0.368	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	बरेकेल ब्रांच माइनर 1 R

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/409.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गलगलाडीह प.ह.नं. 13	0.324	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	गलगलाडीह माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/410.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सकर्रा	0.132	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कटारी माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/411.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	आमनडुला प.ह.नं. 3	0.057	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	करिगांव माइनर 3

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/412.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	चंदेलाडीह प. ह. नं. 2	0.750	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कोरगांव माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/413.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मोहत्तरा प.ह.नं. 3	1.284	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	पोता उप वितरक [illegible] माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/414.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	चंदेलाडीह प.ह.नं. 2	0.137	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कीरगांव सब माइनर 3

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/416.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अड़भार प.ह.नं. 8	0.389	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	अड़भार माइनर 2

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7148/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मोंगरा प.ह.नं. 21	13.770	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7149/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	झिटिया प.ह.नं. 3	5.359	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7150/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अ. चौकी	मुंजाल प.ह.नं. 20	2.293	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7151/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	दानीटोला प.ह.नं. 21	12.053	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7152/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कुमरदा प.ह.नं. 61	15.012	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर के डोंगरगांव वितरक, शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7153/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	अछोली प.ह.नं. 60	7.650	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर के डोंगरगांव वितरक, शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7154/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	आमगांव प.ह.नं. 60	6.290	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर के डोंगरगांव वितरक शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7155/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	सोमाझिटिया प.ह.नं. 59	2.982	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर के डोंगरगांव वितरक शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7156/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	खुर्सीटिकुल प.ह.नं. 64	1.862	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर के डोंगरगांव वितरक शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7157/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	कान्हे प.ह.नं. 12	0.765	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिये शासकीय आवास/कालोनी के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7144/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पुरैना, प. ह. नं. 67/8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
127/1	0.76
127/3	0.15
127/2	0.15
योग 3	1.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7145/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 66
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 73.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2	1.70
117	1.46
18	1.90
28	5.25
53/3	0.56
53/5	0.48
57/1	1.23
124	1.30
58	0.84
62	1.00
65/1	0.48
66/3	0.40
140/1	0.40
116	1.72
139/6	0.13
115	1.52
129	0.32
10/2	0.05
51/2	0.10
139/2	0.14
5	0.07
8	0.38
19	0.10
29	1.25
67/1	0.10
54	1.30
60	2.20
125	0.92
59	1.00
64/1	1.45
65/3	0.33
66/2	0.27

(1)	(2)
140/2	1.11
139/1	0.13
137	0.42
119	1.14
130	0.03
14/1	0.50
135/1	0.92
6/3	0.20
15	0.65
63	0.50
53/1	1.40
67/3	0.10
55	1.36
114	1.75
57/2	0.35
126	0.58
138	1.98
65/2	0.43
118	1.79
140/3	0.45
139/4	0.20
136	0.90
121	2.63
131	1.12
13/1	0.25
145/2	0.70
7	0.52
17	0.36
139/5	0.15
53/2	0.73
53/4	0.46
56	0.90
120/1	0.84
120/2	0.27
61	13.06
64/2	0.75
66/1	0.13
67/2	0.11
127	0.32
139/3	0.15
113	0.98
128	0.62
364/2	0.35
13/2	0.27
145/3	0.15
योग 77	73.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खैरबना जलाशय योजना के बांधपार एवं डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव; दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7146/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़पार, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.63 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
720	3.96
723	0.60
721	0.45
722	0.15
724/1	0.28
724/2	0.33
724/3	0.33
724/7	0.05
724/4	0.23
724/5, 6	0.60
740	0.18

(1)	(2)
738	0.05
745	0.08
746	0.34
योग 14	7.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 शीर्ष कार्य निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 7147/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगढ़
(ग) नगर/ग्राम-जामरी, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.04 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
591	0.09
592	0.02
594	0.07
588	0.15
601/2	0.20
651	0.13
601/1	0.16
599	0.04
598	0.07
618/3	0.05
618/1	0.03
619	0.07
620	0.05
629/3	0.03
630	0.22
631	0.04
632	0.05
633	0.05
627	0.20
626/4	0.08
626/3	0.15
626/2	0.07
625/3	0.04
644	0.11
641	0.07
662/2	0.06
653/2	0.26
653/1	0.52
652	0.08
640	0.07
639	0.06
638	0.04
663	0.51
651/1	0.06
662/1	0.57
650/2	0.60
649	0.18
648/2	0.22
648/1	0.57
योग 39	6.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 शीर्ष कार्य निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2004

क्रमांक 6852/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-चौकी

(ग) नगर/ग्राम-दुर्रेटोला, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.840 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.725
3	0.405
6/2	2.436
19/1	1.121
21/3	0.407
19/2	0.347
27/4	0.736
21/4	0.350
27/5	0.445
27/1	0.198
21/1	0.632
20/1	0.404
27/3	0.534
20/3	0.166
21/5	0.720
20/2	0.324
21/2	0.445
27/2	0.445
योग 18	10.840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोंगरा परियोजना के बांध एवं डूबान क्षेत्र के लिए.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक भू-अर्जन/48-अ/82/2002 2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-गेड़ापाली, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल 21.537 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
3/18	0.809
3/29	2.975
2/1	0.975
2/2	0.190
3/23	0.429
3/24	0.445
3/2	0.672
3/25	0.745
3/28	0.405
3/3	0.486
3/4	0.101
3/5	0.089
3/36	0.105
3/37	0.105
3/[illegible]	0.040
4	0.488
3/20	0.707
3/6	0.648
3/7	0.665

(1)	(2)
6	0.214
7	0.348
3/9	1.003
9/2	0.486
3/11	0.904
9/1	1.287
3/10	1.052
3/16	0.069
3/60	1.526
3/15, 3/35	0.613
3/34	0.081
3/19	0.175
3/44	0.079
3/45	0.093
3/46	0.126
17	0.571
3/22	0.073
3/21	0.142
3/8	0.607
3/49	0.809
योग 39	21.537

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठाकुरदिया जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाई-गढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक भू. अर्जन/49-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला रायपुर

(ख) तहसील बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम दर्रा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल 32.132 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.693
383/13	1.012
383/18	0.607
383/19	0.809
383/12	1.125
383/14	0.983
383/16	0.304
383/2	1.214
383/17	0.607
383/3	1.214
383/4	1.214
383/15	0.809
383/5	1.214
383/6	1.214
7/1 ख	0.672
7/1 ग	0.053
7/2	0.263
8/1	1.189
8/2	0.837
8/3	0.081
8/4	0.097
8/5	0.081
8/6	0.097
8/10	0.097
8/11	0.081
8/9	0.162
9/1	0.607
7/1 घ	0.097
383/8	0.607
383/7	0.202
17/3 एवं 18/3	0.534
17/2 एवं 18/2	0.202
20	0.101
17/1 एवं 18/1	0.515
1/2 क	0.101
1/2 ख	0.101
21/1	[illegible]
21/2	0.073
3	[illegible]

(1)	(2)
4	0.696
5	0.364
383/1	5.583
7/1 क	3.100
19	0.025
1/1	1.955
8/7	0.081
8/8	0.093
योग 47	32.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठाकुरदिया जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक 355/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भातमाहुल, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.488 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
129/1 च	0.109
131/3	0.126
130/1	0.016
131/1 ख	0.060
132/1	0.048
134/8	0.024
243/3	0.065
143/2	0.040
योग	0.488

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भातमाहुल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक 415/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पोंता, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.483 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
पोंता उप वितरक	
70/1	0.040
168/1	0.020
168/3	0.073

(1)	(2)
168/4	0.004
75/1	0.073
19/2	0.065
23/1	0.065
सारसडोल माइनर	
629	0.143
योग	0.483

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पोता उप वितरक, सारसडोल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 24 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 24 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तूरी	उसलापुर/35	154/7	0.54
			139	0.31
			142	0.22
			135/2	0.20
			140	0.35
			196/2	0.10
			141/2	0.34
			195/2	0.70
			195/5	0.25
			135/1	0.01
			195/6	0.20
			196/3	0.26
			154/6	0.20
			196/6	0.10
		कुल	14	3.68

बिलासपुर, दिनांक 27 मई 2004

"प्रारूप-घ"

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 25 अ 82/03-04.—राज्य संरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 31अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तूरी	दवनडीह/36	90/13	0.35
			90/14	0.25
			58/1	0.10
			78/5	0.30
			78/4	0.25
			40/1	0.05
			132/2	1.06
			76/5	0.30
			96	0.28
			40/3	0.16
			76/3	0.35
			49	0.40
			48/3	0.35
			61/2	0.40
			76/1	0.15
			56/1	0.60
			56/6	0.15
			57/1	0.20
			75/2	0.18
			76/2	0.03
			61/1	0.18
			48/2	0.07
			132/4	0.42
			76/4	0.24
			75/1	0.27
			90/6	0.33
			62/1, 62/2, 62/3	0.50
			97	0.67
			39/1	0.49
			39/5	0.15
			39/2	0.30
			39/3	0.08
			56/3, 56/5	0.46
			59	0.54
			48/1	0.86
			60	0.60
			39/4	0.18
			56/4	0.36
			40/7	0.18
			58/3	0.12
		कुल	40	12.91

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

"प्रारूप-घ"

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 26 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 26 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर उसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है:-

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तूरी	कर्रा/36	264, 267	0.08
			245/3	0.31
			254/2, 255/2	0.07
			245/1	0.55
			254/1	0.20
			270/2	0.03
			235/1	0.03
			272/1	0.20
			253	0.12
			235/3	0.25
			268	0.95
			231	0.74
			269/2	0.78
			233/2	0.05
			235/7	0.50
			232/1	0.58

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			233/1	0.88
			235/2	0.32
			235/4	0.03
			243/1	0.80
			245/2, 245/5	0.25
			269/1	0.60
			245/4	0.45
			272/2	0.03
			243/3	0.07
			266	0.80
		कुल	26	9.47

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 27 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), विलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 27 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तूरी	धनियाँ/35	292/4	0.70
			292/3, 297/1	0.40
			292/9, 297/3	0.01
			296/5	0.02
			292/2, 292/13	0.24
			292/11, 297/4	0.20
			296/4	0.05
		कुल	11	1.62

बिलासपुर, दिनांक 27 मई 2004

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 28 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 28 अ 82/03 04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तूरी	कुल्ली/34	756	0.20
			244/1	0.20
			244/2	0.58
			244/3	0.60
			96	0.80
			154/2	0.18
			169/5	0.32
			549	1.32
			750	0.24
			704	0.21
			237	0.20
			167/2	0.03
			152	0.54
			703	0.12
			755	0.34
			758	0.23
			757	0.06
			167/1	0.36
			746	0.22
			747, 748	1.43
			98	0.54
			535	1.13
			705	0.10
			738	0.30
			538	0.27
			97	0.30
			153	0.32
			241/2	0.10
			169/2	0.26
			154/1	0.22
			736/2	1.30
			737	0.20
			554	0.30
			169/4	0.38
			70	0.[illegible]
			751	0.32
			167/3	0.32
			[illegible]	0.[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			261/1	1.04
			548	0.26
			552	0.10
			553	0.09
			163	0.13
			169/1	0.02
			242/1	0.28
			240	0.04
			148/2	0.18
			166/1	0.30
			752	0.13
			550	0.24
			260	0.01
		कुल	53	18.62

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

"प्रारूप-घ"

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 29 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 29 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नम्बर (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
बिलासपुर	मस्तूरी	खम्हरिया/34	320/3	0.26
			313/1	0.32
			334	0.36
			598, 599	0.86
			589/1	0.14
			406	0.22
			408	1.29
			616/1	0.40
			315/1	0.16
			320/2	0.18
			437	0.30
			439	0.08
			309/1	0.42
			394	0.08
			296/5	0.40
			297/2	0.32
			611/6	0.80
			607/1	0.08
			323	1.22
			390	0.34
			308	0.08
			311	0.66
			322	0.84
			324	0.34
			326	0.04
			391	0.02
			392	0.18
			393	0.07
			395	0.02
			400	0.03
			402	0.40
			404	0.36
			405/7	0.09
			407	1.43
			433	1.03
			434/1	1.04
			438	0.12
			312	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			333/1	0.18
			333/2	0.18
			320/4	0.29
			309/4	0.20
			304/3, 306, 574/2	0.76
			309/2, 309/3, 310/2	0.53
			296/1	0.59
			297/1	0.43
			610/1	0.18
			611/7	0.92
			310/1	0.24
			296/6	0.85
			298	0.06
			320/1	0.45
			325	0.04
			396	0.19
			397	0.02
			435	0.04
			589/3	0.20
			590/1	0.05
			405/1	0.25
		कुल	60	21.74

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

"प्रारूप-घ"

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 30 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 30 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तूरी	परसाही/36	147/4	0.10
			148	0.53
			140/2	0.35
			145/1	0.10
			142	0.30
			157	0.50
			147/3	0.30
			139	0.16
			151	0.35
			147/6	0.84
			149/1	1.00
			138/2	0.40
			158/1	0.54
			143/2	0.10
			144	0.10
			140/1	0.40
			141/2	0.10
			149/2	0.60
			143/1	0.60
			112/3	0.15
			150	0.18
			156	0.15
			166/2, 167	0.07
		कुल	23	7.92

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 31 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 31 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तूरी	लुतरा/34	745/3	0.20
			740/1	0.02
			744	0.20
			731/1	0.02
			741/2	0.90
			731/3	0.25
			727/2	0.42
			737/3	0.20
			727/1	0.20
			727/3	0.15
			656	0.18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			732/1	0.74
			729, 730, 732/3	0.05
			738	0.03
			739/1	0.40
			741/3	0.07
			743/4	0.07
			742/2, 743/5	0.08
			742/4, 743/3	0.06
			743/2	0.02
			654/2	0.52
			737/2	0.02
			745/1, 745/2	0.25
			736	0.10
			657	0.32
			654/1, 654/3	0.25
			743/1	0.12
			737/1	0.50
			739/1	0.36
			731/2	0.28
			743/6	0.06
		कुल	32	7.04

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2001

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 32 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 32 अ 82/03-04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइंन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाइंन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.-ह. नं. (3)	खसरा नम्बर (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
बिलासपुर	मस्तूरी	भौंराडीह/34	80/1	0.68
			88	0.80
			6/1	0.02
			3/4	0.33
			2	0.09
			77/1	0.11
			6/6	0.36
			75	0.06
			80/2	0.05
			4	0.28
			13	0.20
			14	0.28
			77/2	0.10
			6/5	0.28
			6/3	0.60
			3/10, 3/11	0.40
			3/12, 3/13	0.38
			3/9	0.56
			81	0.25
			71/2	0.05
			76/2	0.25
			5	0.17
			89/4	0.20
			74	0.50
			76/1	0.26
		कुल	27	7.26

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

"प्रारूप-घ"
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 33 अ 82/03-04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), बिलासपुर को अधिसूचना क्रमांक 33 अ 82/03 04, दिनांक 17 अगस्त, 2004 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला-बिलासपुर परियोजना के लिये पानी परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की था.

और, उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2004 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और, उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव, अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और, एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तूरी	खाड़ा/35	287/5	0.12
			289 5	
			315/2	0.07
			315 3	
			287/11	0.32
			355/1	0.02
			355/2	0.32
			287/1	0.15
			283/1	0.15
			283/2	0.02
			283/3	0.17
			311/2	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			310/2	0.38
			346/4	0.10
			345/1	0.25
			346/3	0.24
			310/4	0.25
			346/7	0.01
			281	0.31
			310/1	0.25
			286/3	0.02
			339/1	0.13
			282	0.05
			345/2	0.32
			346/1	0.01
			308/1	0.10
			354/1	0.48
			357	0.33
			346/2	0.40
			310/3	0.25
			355/1	0.02
			286/2	0.12
			286/5	0.01
			311/1	0.16
			287/9, 289/4	0.70
			287/2	0.08
			317	2.12
		कुल	39	9.05

हस्ता./-
अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महासमुंद (छ. ग.)

महासमुंद दिनांक 28 अक्टूबर 2003

क्रमांक 2827/4585/क/ख. लि./खु. घो./न. क्र. 51/2000.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 59 के तहत महासमुंद जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र क्वार्टजाइट खनिज के खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये उपलब्ध रहेगा.

स. क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	खनिज	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	परसापाली	06	क्वार्टजाइट	सराईपाली	51/1 टु. 51/2 टु. 51/3 टु. ख. नं. (कुल) 3	1.017 हेक्टर 0.065 हेक्टर 0.049 हेक्टर कुल रकबा 1.131 हेक्टर	स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण खुला घोषित किया जा रहा है.

मनिन्दर कौर द्विवेदी,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 31 अगस्त 2004

क्रमांक 3771/मा. चि./2003.—म. प्र. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग में लायी जाने वाली चूने के विनिर्माण के लिए भट्टी में डालकर उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर, उत्खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदारों का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	जगदीश प्रसाद अग्रवाल साकिन-दुर्ग.	जोरातराई	राजनांदगांव	164	3.99 एकड़	चूना पत्थर	शासकीय भूमि	अवधि समाप्त होने के कारण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	श्रीमती रंजनबाला ध. प. बृजमोहन साकिन-दुर्ग.	जोरातराई	राजनांदगांव	320/14	2.40 ए.	चूना पत्थर	भूमि स्वामी	अवधि समाप्त होने के कारण.
				320/15	2.50 ए.			
					4.90 एकड़			

जी. एस. मिश्रा,
कलेक्टर.